# अध्याय-III

# सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र

# (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

# अध्याय-III
# सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र
# (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

## हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड

### 3.1 हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड - प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पर निष्फल-व्यय, ₹ 7.82 करोड़

**हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड ने प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट (परियोजना) पर ₹7.82 करोड़ व्यय किए परन्तु उसका उपयोग नहीं किया। ₹ 2.74 करोड़ की अतिरिक्त देयता अभी भी बकाया है।**

भारत सरकार[75] ने केंद्रीकृत प्रयोज्यता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (एचपीएमसी) के कार्यालयों की आंतरिक व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार लाने के उद्देश्य से ऑटोमेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी (मार्च 2015)। प्रोजेक्ट ₹8.83 करोड़ के सहायता-अनुदान[76] के कुल परिव्यय सहित तीन वर्ष (जून 2015 से जून 2018) की समयावधि का था। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (14), फल प्रसंस्करण इकाइयों (3), शीतागार (कोल्ड स्टोरेज) (2) तथा मुख्यालय को एकीकृत करना था जिससे पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सके ताकि परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके एवं वास्तविक समय आधार पर महत्वपूर्ण जानकारी की उपलब्धता प्रदान की जा सके। बेहतर मानव संसाधन (एच आर) प्रबंधन; आपूर्ति व विनिर्माण की बाधाओं को कम करना; परिवहन, वेयरहाउस वितरण लागत घटाना तथा बेहतर ग्राहक प्रबंधन परिकल्पित लाभ थे।

अलग से किसी प्रकार की परियोजना प्रबंधन इकाई नहीं बनाई गई थी। एचपीएमसी स्वयं परियोजना प्रबंधन इकाई के रूप में काम कर रहा था। वह हितधारकों के मध्य समन्वय, आधारभूत संरचना का निर्माण मानक के अनुरूप सुनिश्चित करना, समय-सीमा एवं सेवा स्तर अनुबंध की निगरानी, एप्लीकेशन की उपयोगकर्ता स्वीकार्यता जांच संचालित करने, आंतरिक क्षमता निर्माण एवं किसी भी अन्य प्रशासनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिम्मेदार था।

---

75 संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

76 केन्द्रीय अंश: ₹ 7.90 करोड़ (₹ 3.94 करोड़ की प्रथम क़िस्त मार्च 2015 में जारी की गई) तथा राज्यांश: ₹ 0.93 करोड़।

एचपीएमसी के अतिरिक्त निजी एवं सार्वजनिक एजेंसियां भी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में लगी थीं। इनकी भूमिका निम्नवत थी:

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एचपीएमसी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं निविदा प्रारूप बनाने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना था।
- एचपीएमसी ने प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में नियुक्त किया था जिसको एचपीएमसी की आवश्यकतानुसार एसएपी का ग्राहकीकरण करना था। इसके अतिरिक्त, सिस्टम इंटीग्रेटर का कार्य मुख्यतः प्रोजेक्ट की कार्य-योजना, डिज़ाइन बनाना, सिस्टम विकसित करना एवं डेटा का डिज़िटीकरण/स्थानांतरण करना था।
- इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई.आर.पी.) का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एचपीएमसी ने एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया जिसके लिए सॉफ्टवेयर लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु एसएपी इंटरप्राइज को सहायता शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था।
- कंपनी ने प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध करवाने के लिए विप्रो लिमिटेड को नियुक्त किया।

अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2019) से उजागर हुआ कि कार्यान्वयन के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई गईं:

**i.** 16 नवम्बर 2017 को स्वीकृति हेतु प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का आकलन करते समय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देखा कि विकसित की गई एप्लीकेशन वेब आधारित नहीं थी, ग्राफिकल यूजर इंटरफ़ेस बहुत जटिल था तथा मॉड्यूलस् एचपीएमसी की आवश्यकतानुसार डिजाइन नहीं किए गए थे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एचपीएमसी से सिफारिश की, कि प्रत्येक प्रक्रिया पर उन लोगों से चर्चा की जानी चाहिए जो उस डोमेन विशेष से सम्बंधित हैं।

**ii.** प्रोजेक्ट को फरवरी 2018 में लाइव कर दिया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इस प्रणाली का अधिक उपयोग नहीं किया गया था। उदाहरणस्वरुप गो-लाइव के नौ माह पश्चात् भी गुम्मा शाखा के अंतर्गत झाकड़ी स्थित सेब संग्रह केंद्र में मात्र तीन प्रविष्टियां ही की गई थी। एचपीएमसी ने यह आकलन करने के लिए कि सिस्टम का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

उपर्युक्त के बावजूद, प्रबंध निदेशक, एचपीएमसी ने उचित रूप से उपयोगकर्ता स्वीकृति (यूजर एक्सेप्टेंस) की जांच किए बिना प्रमाणित किया (जनवरी 2019) कि प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक प्रोजेक्ट पूरा किया था। एचपीएमसी ने प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एजेंसियों को ₹ 7.82 करोड़ का भुगतान किया था जैसा कि **परिशिष्ट-3.1** में दर्शाया गया है। यद्यपि फरवरी 2019 से किसी भी मॉड्यूलस् का उपयोग नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, अब प्रोजेक्ट अकार्यशील है क्योंकि एसएपी. उद्यम, जो ई.आर.पी. (इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) हेतु लाइसेंस प्रदान करता है, ने भी अपनी लाइसेंस फीस का भुगतान न करने के कारण अपनी सेवाएं रद्द कर दी थी (दिसम्बर 2019)।

भारत सरकार ने सहायता-अनुदान की दूसरी क़िस्त जारी करने के लिए एचपीएमसी से दिल्ली में आयोजित (13 अगस्त 2019) बैठक में प्रोजेक्ट समाप्ति प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट), समेकित अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के प्रमाण के रूप में एचपीएमसी की कार्यप्रणाली तथा कृषकों व अंतिम उपयोगकर्ता को हुए इसके लाभों से सम्बंधित एक लघु वीडियो फिल्म प्रस्तुत करने को कहा। इस प्रकार की किसी रिपोर्ट को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने सम्बन्धी कोई अभिलेख नहीं है। प्रबंध निदेशक, एचपीएमसी ने निदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) को 15 जनवरी 2020 को सूचित किया कि "एचपीएमसी में प्रोसेस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है।" भारत सरकार ने जून 2020 में दूसरी क़िस्त (₹ 3.91 करोड़) जारी की।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में (सितम्बर 2021) प्रशिक्षित आईटी स्टाफ की कमी एवं परामर्शदाताओं की सेवा की अनुपलब्धता को विफलता का जिम्मेदार बताया। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि श्रम-शक्ति के मुद्दों पर प्रोजेक्ट के योजना चरण में विचार किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, परामर्शदाता प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु एवं रख-रखाव अवधि के दौरान भी उपलब्ध थे परन्तु कंपनी सम्पूर्ण अवधि में परियोजना को संचालित नहीं कर सकी।

एचपीएमसी ने ₹ 8.83 करोड़ के कुल सहायता-अनुदान के प्रति ₹ 11.57 करोड़ का कुल व्यय किया तथा इस प्रकार प्रोजेक्ट से बिना कोई लाभ प्राप्त किए ₹ 2.74 करोड़ की अतिरिक्त देयता निर्मित की।

***सिफारिश: सरकार अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने, एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार करें।***

## हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

### 3.2 हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में अनुबंध प्रबंधन

**कंपनी ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 41 परियोजनाओं का निष्पादन किया। कार्य सौंपने एवं उसके उपरांत, कार्यों को पूरा करने में विलम्ब हुआ। अनुचित मूल्य भिन्नता, अस्वीकार्य भुगतान व परिनिर्धारित नुकसान का अनुद्ग्रहण सहित वित्तीय सुरक्षा उपायों को लागू न करने के उदाहरण देखे गए, जिनमें परिनिर्धारित नुकसान भी शामिल पाया गया।**

### 3.2.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (कंपनी) का गठन (अगस्त 2008) राज्य में ट्रांसमिशन नेटवर्क (संचरण जाल) को मजबूत करने एवं आगामी विद्युत उत्पादन संयंत्रों से विद्युत के निष्क्रमण की सुविधा के लिए किया गया था। इसे वर्ष 2010 में राज्य संचरण जनोपयोगी सेवा का दर्जा दिया गया था। इसे 66 किलोवाट एवं उससे अधिक की ट्रांसमिशन लाइनों व सब-स्टेशनों से संबंधित सभी नए कार्यों के निष्पादन का जिम्मा सौंपा गया है। अनुबंधों से संबंधित कंपनी की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट-3.2** में दी गई है।

अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक तीन वर्षों में अनुबंधों की योजना, कार्य सौंपने एवं निष्पादन की जांच करने के लिए अक्टूबर 2020 व दिसंबर 2020 के बीच लेखापरीक्षा संचालित की गई थी। 2017-20 के दौरान निष्पादित 41 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं का चयन बिना प्रतिस्थापन विधि के आकार के अनुपात में संभाव्यता का उपयोग करके किया गया था। जैसा कि **परिशिष्ट-3.3** में वर्णित है।

**तालिका-3.2.1: परियोजनाओं की प्रास्थिति**

| अवधि/वर्ष | सौंपे गए | सौंपे जाने का मूल्य (₹ करोड़ में) | प्रगति में | पूर्ण |
|---|---|---|---|---|
| | क | ख | ग ('क' में से) | घ ('क' में से) |
| **2017-18 तक** | 26 | 1,728.46 | 11 | 15 |
| **2018-19** | 08 | 449.65 | 08 | 0 |
| **2019-20** | 07 | 315.78 | 07 | 0 |

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- कार्यों को सौंपने के लिए उचित निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया था;
- अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित किए गए थे; तथा

- विचलन एवं समय के विस्तार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित माना गया एवं अनुमोदित किया गया था।

**लेखापरीक्षा परिणाम**

नमूना जांच हेतु चयनित 14 परियोजनाओं में, कार्य प्रदान करने में विलम्ब, आपूर्ति समझौते में विरोधाभासी प्रावधान, अस्वीकार्य भुगतान, कर का परिहार्य भुगतान, समय विस्तार की अनियमित अनुमति एवं निष्पादन गारंटी की कम जमा राशि जैसे मुद्दे देखे गए थे। इन मुद्दों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गई है :

### 3.2.2 कार्य सौंपने में विलम्ब

छ: परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदनोपरांत 15 से 40 महीनों के मध्य कार्य सौंपे गए थे। ये कार्य 28 से 66 महीनों के विलम्ब से पूरे किए गए जैसा कि नीचे **तालिका-3.2.2** में वर्णित है:

**तालिका-3.2.2: कार्य सौंपने एवं परियोजना पूर्ण होने में विलंब**

| क्र. सं. | कार्य का नाम | विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन की तिथि | सौंपे जाने की तिथि | सौंपे गए कार्य के अनुसार पूर्ण होने की निर्धारित तिथि | पूर्ण होने की वास्तविक तिथि | कार्य सौंपने में विलम्ब (माह) | पूर्ण होने में विलम्ब (माह) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33/132 के वी, सब-स्टेशन, चंबी | 05 जून 2012 | 01.10.2015 | अप्रैल 2017 | 20.08.2019 | 40 | 28 |
| 2. | 220 के वी लाइन लाहल से बुधिल जल विद्युत परियोजना | 05 जून 2012 | 11.03.2015 | मार्च 2016 | 29.06.2020 | 33 | 51 |
| 3. | 33/220/400 के वी लाहल सब-स्टेशन | 24 जून 2013 | 20.09.2014 | सितंबर 2017 | 30.06.2020 | 15 | 34 |
| 4. | 220/400 के वी, सब- स्टेशन, प्रगति नगर | 06 अप्रैल 2011 | 25.10.2013 | अप्रैल 2015 | 02.11.2020 | 30 | 66 |
| 5. | 66 के वी, उरनी सब-स्टेशन | 05 जून 2012 | 07.06.2014 | सितंबर 2015 | 30.09.2020 | 24 | 61 |
| 6. | 66/220/400 के वी, वांगतू सब-स्टेशन, 400 के वी करछम: काला अम्ब ट्रांसमिशन लाइन के दोनों सर्किटों का निर्माण। | 14 मार्च 2012 | 24.07.2013 | मई 2015 | 29.09.2021 | 16 | 52 |

### 3.2.3 अनुबंध में कमियां

लेखापरीक्षा ने एक परियोजना में पाया कि अनुबंध में अनियमितताओं से मूल्य विचलन के लिए अनुचित भुगतान संभव हुआ। लाहल सब-स्टेशन[77] के निर्माण के लिए, सितंबर 2014 में एक ठेकेदार को आपूर्ति-सह-सेवा अनुबंध दिया गया था। आपूर्ति अनुबंध ₹ 185.55 करोड़ एवं 1,11,900 अमेरिकी डॉलर का था। सेवा अनुबंध ₹ 46.90 करोड़ के लिए था। अनुचित मूल्य विचलन निम्नलिखित उदाहरणों में दिया गया था-

**(i) आपूर्ति अनुबंध में विरोधाभासी प्रावधान**

बोलीदाताओं को दिए निर्देशों[78] के अनुसार, लो टेंशन/ पावर ट्रांसफार्मर, सिविल कार्यों एवं ट्रांसमिशन परियोजना के लिए संबद्ध परिनिर्माण घटक[79] को छोड़कर, किसी प्रकार का मूल्य विचलन स्वीकार्य नहीं था। अनुबंध की शर्तों में भी बाहर से खरीदी गई मदों[80] पर मूल्य विचलन का प्रावधान नहीं था।

ये दो प्रावधान विरोधाभासी हैं क्योंकि इस अनुबंध में पावर ट्रांसफार्मर एक बाहर से खरीदी हुई वस्तु थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार ने पावर ट्रांसफार्मर की आपूर्ति के संबंध में मूल्य विचलन का दावा किया (05 फरवरी 2019), जिसके लिए कंपनी ने ₹ 6.33 करोड़ का भुगतान किया (मई 2019)। चूंकि पावर ट्रांसफार्मर[81] एक बाहर से खरीदी गई वस्तु थी, अनुबंध की शर्तों के अनुसार ₹ 6.33 करोड़ के मूल्य विचलन का भुगतान स्वीकार्य नहीं था। कंपनी द्वारा ठेकेदार को ₹ 6.33 करोड़ का भुगतान करने से पहले विसंगतियों का समाधान करना चाहिए था।

**(ii) सेवा अनुबंध में मूल्य विचलन खंड का समावेश**

सेवा अनुबंध हेतु बोलीदाताओं को दिए निर्देशानुसार, सेवा अनुबंधों में मूल्य विचलन स्वीकार्य नहीं था तथा बोली उसी के अनुसार लगाई एवं स्वीकार की गई थी। लाहल सब-स्टेशन निर्माण के सेवा-अनुबंध में मूल्य-विचलन खण्ड कार्य सौंपने के उपरांत अनुबंध में शामिल किया गया था तथा इससे ठेकेदार मूल्य-विचलन हेतु पात्र बन गया। यह ₹ 5.92 करोड़ के मूल्य-विचलन राशि के अनुचित भुगतान में परिणत हुआ।

इस प्रकार, कंपनी ने बोली/ अनुबंध के नियमों व शर्तों के विरुद्ध ₹ 12.25 करोड़ (₹ 5.92 करोड़ + ₹ 6.33 करोड़) के मूल्य विचलन का भुगतान जारी करके अनुचित लाभ दिया।

---

77 33/220/400 केवी जीआईएस सब-स्टेशन

78 अनुबंध की धारा-2 (बीडीएस) का खंड 18.6 एवं धारा 8 (अनुबंध की विशेष शर्तें) का खंड 11.2

79 कंक्रीटिंग; अन्य इस्पात कार्य का सुदृढ़ीकरण और निर्माण

80 ठेकेदार द्वारा अन्य निर्माताओं से खरीदे गए सामान

81 (मेसर्स तोशिबा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित)

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि निविदा दस्तावेज/ बोली पूर्व स्पष्टीकरण के अनुसार मूल्य विचलन केवल प्रमुख उपकरणों यानी लो टेंशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर एवं सिविल कार्यों के लिए लागू है। उत्तर पावर ट्रांसफार्मर के बाहर से खरीदे गए मद होने के विषय में कोई जानकारी नहीं देता, जिस पर कोई मूल्य विचलन स्वीकार्य नहीं थी।

### 3.2.4 अनुबंधों का कार्यान्वयन

#### 3.2.4.1 समझौते की शर्तों का उल्लंघन

अनुबंधों की शर्तों का पालन न करने के उदाहरण निम्नानुसार थे:

**(i) सड़क चौड़ी करने के लिए अमान्य भुगतान**

एक परियोजना (लाहल स्थित सब-स्टेशन) में, कंपनी ने सड़क सुदृढ़ीकरण/ चौड़ी करने के कार्य का वित्तीय बोझ वहन किया जो स्पष्ट रूप से बोलीदाता के कार्यक्षेत्र में था।

लाहल सब-स्टेशन के निर्माण के लिए "बोलीदाता के दायरे में पुलों व सड़कों के सुदृढ़ीकरण" खंड पर एक बोली-पूर्व प्रश्न में, एक बोलीदाता जानना चाहता था कि क्या सफल बोलीदाताओं द्वारा चंबा एवं लाहल के बीच सड़क व पुलों को मजबूत किया जाना है। कंपनी ने उत्तर दिया (30 जनवरी 2014) कि जहां भी आवश्यक हो, पुलों का अस्थायी सुदृढ़ीकरण एवं सड़कों को चौड़ा करना बोलीदाता के कार्यक्षेत्र में होगा। निविदा के अनुसार ठेकेदार को कार्य निष्पादन के लिए गंतव्य तक सामग्री को पहुंचाना था। इसके लिए आवश्यक सड़क सुदृढ़ीकरण की जिम्मेदारी ठेकेदार की थी।

ठेका देने के बाद, संभावित बाधाओं की पहचान करने के लिए कंपनी, ठेकेदार तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा चंबा-भरमौर सड़क का एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया (6 अगस्त 2015) था। सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया कि भारी वाहनों के सुचारू आवागमन हेतु आवश्यक निर्गम बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर सड़क चौड़ी करने तथा लटकती हुई चट्टानों पर जाली लगाने (ड्रेजिंग) की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए अधीक्षण अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शाहपुर द्वारा ₹ 2.00 करोड़ का प्राक्कलन (सितम्बर 2017) तैयार किया गया था। कंपनी ने यह राशि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के पास जमा की (दिसंबर 2017)।

बोली-पूर्व स्पष्टीकरण में कंपनी ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि सड़कों को चौड़ा करना, जहां भी आवश्यक हो, बोलीदाता के कार्यक्षेत्र में था। इसलिए, संविदात्मक प्रावधान के विरूद्ध सड़क चौड़ी करने की लागत कंपनी द्वारा जमा करने के कारण ₹ 2.00 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा।

**(ii) अतिरिक्त मदों की स्वीकृति**

दो परियोजनाओं में, कंपनी ने अतिरिक्त मदों के लिए अलग से मंजूरी दी तथा अतिरिक्त भुगतान किया, जिन्हें ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में शामिल माना गया था।

वांगतू एवं लाहल सब-स्टेशनों के निर्माण के अनुबंध में, भाग-1 (परियोजना) के खंड 3.6 के अनुसार सब-स्टेशनों के सफल निर्माण, प्रारंभ, परिचालन एवं रख-रखाव के सभी संदर्भों में विनिर्दिष्ट या अन्य आवश्यक उपकरणों, सामग्रियों, प्रणाली व सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार पूर्णत: जिम्मेदार थे। इन्हें ठेकेदारों के कार्यक्षेत्र में शामिल माना जाएगा एवं कंपनी को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों ने फिल्टर मीडिया उपलब्ध कराने एवं बिछाने के लिए जल निकासी छिद्रों (विप होल्स) के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप की आपूर्ति एवं स्थापना के लिए तथा प्रतिधारण (रिटेनिंग)/ सुरक्षा दीवार में तापीय विस्तार जोड़ (एक्सपेंशन जोइंट), फिलर बोर्ड के लिए अतिरिक्त मद के रूप में अतिरिक्त दावा प्रस्तुत किया था, जिसके लिए कम्पनी ने ₹ 0.99 करोड़ का भुगतान किया, जैसा कि नीचे **तालिका-3.2.3** में दिया गया है:

**तालिका-3.2.3: ठेकेदार को दिए अतिरिक्त भुगतान का विवरण**

**(₹ करोड़ में)**

| **क्र. सं.** | **कार्य का नाम** | **दावे का माह** | **दावा की गई राशि** | **भुगतान की गई राशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 400/220/66 केवी जीआईएस, वांगटू | अक्टूबर 2016 | 2.66 | 0.92 |
| 2. | 33/220/400 किलोवाट, जीआईएस, लाहल | जनवरी 2020 | 0.07 | 0.07 |
| **योग** | | | | **0.99** |

इस प्रकार, अनुबंधों की शर्तों का पालन न करने तथा उपर्युक्त मदों को अतिरिक्त मदों के रूप में मानने के कारण ₹ 0.99 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि सुरक्षा दीवार को पूरा करने के लिए आवश्यक पीवीसी पाइप आदि को बोली पूर्व प्रश्न में शामिल नहीं किया गया था, एवं इस तरह एक अतिरिक्त मद के रूप में भुगतान किया गया। उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि अनुबंध में पहले से ही शामिल प्रावधानों के अनुसार ये मदें मुफ्त में आपूर्ति की जाने वाली महत्वपूर्ण मदें थी, जैसा की उपरोक्त परिच्छेद में चर्चा की गई है।

**(iii) वस्तु एवं सेवा कर का परिहार्य भुगतान**

चार परियोजनाओं में, कंपनी ने खरीदी गई मदों पर वस्तु एवं सेवा कर का परिहार्य भुगतान किया, जो अनुबंधों के अनुसार अपेक्षित नहीं था।

लाहल, चंबी, सुंडा-हाटकोटी, उरनी एवं लाहल-बुधिल में सब-स्टेशन/ट्रांसमिशन लाइन (टीएल) के निर्माण के लिए अनुबंध-समझौतों की धारा-8 के खंड 14.9 (जून 2014 व अक्तूबर 2015 के बीच प्रदान किया गया) में प्रावधान था कि अनुबंध मूल्य एवं भुगतान की शर्तें[82] उन करों, उदग्रहणों व प्रभारों एवं शुल्कों पर आधारित होंगी जो बोली जमा करने की अंतिम तिथि से 28 दिन पहले प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त यह प्रावधान था कि यदि अनुबंध के दौरान करों में कोई परिवर्तन होता है, तो अनुबंध मूल्य में तदनुसार न्यायसंगत समायोजन किया जाएगा। हालांकि, ये समायोजन नियोक्ता एवं ठेकेदार के मध्य सीधे लेनदेन तक ही सीमित थे एवं खरीदी गई वस्तुओं पर लागू नहीं थे।

वस्तु एवं सेवा कर लागू होने (1 जुलाई 2017) के बाद, कंपनी ने इन चार अनुबंधों के अनुबंध मूल्य को संशोधित किया एवं वस्तु एवं सेवा कर के अनुसार बाहर से खरीदी गई वस्तुओं की कीमत को समायोजित किया। यह अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन था, तथा अनुबंध में बाहर से खरीदी गई वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर को समायोजित करने के कारण कंपनी को ₹ 24.57 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा, जैसा कि **तालिका-3.2.4** में वर्णित है:

**तालिका-3.2.4: वस्तु एवं सेवा कर के कारण परिहार्य भुगतान का विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| क्र. सं. | परियोजनाओं का नाम | वस्तु एवं सेवा कर काल के पश्चात आपूर्ति खरीदी गई मदों का मूल्य | चुकाने योग्य केंद्रीय बिक्री कर के समायोजन पश्चात चुकाई गई अधिक वस्तु व सेवा कर |
|---|---|---|---|
| 1. | जीआईएस लाहल | 1,33,57,16,768 | 22,01,78,766 |
| 2. | जीआईएस चंबी | 8,13,28,031 | 1,30,12,485 |
| 3. | सुंडा-हाटकोटी टी/एल | 7,57,36,875 | 1,21,17,900 |
| 4. | उरनी सब-स्टेशन | 24,59,240 | 3,93,480 |
| **कुल** | | | **24,57,02,631** |

### 3.2.4.2 वित्तीय सुरक्षा उपाय लागू न करना

**(i) अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रतिधारण राशि जारी करना**

एक परियोजना (लाहल सब-स्टेशन) में अनुबंध के सफल समापन तक प्रतिधारित करने के बजाय, कंपनी ने ठेकेदार को समय से पहले प्रतिधारण राशि जारी की, जिससे ब्याज राजस्व की हानि हुई।

[82] जैसा कि अनुबंधों के अनुच्छेद-2 में विनिर्दिष्ट था।

लाहल सब-स्टेशन के निर्माण हेतु ठेकेदार ने मई 2019 में कंपनी को सूचित किया कि वह अनुबंध कार्यों के लिए खराब नकदी प्रवाह के कारण भारी दबाव में है एवं उसने बैंक गारंटी के प्रति ब्याज रहित प्रतिधारण राशि जारी करने का अनुरोध किया। यद्यपि ठेकेदार को भुगतान समय पर जारी किया जा रहा था, कम्पनी ने जीसीसी के खंड संख्या 25.5.2 (ख) के अनुसार 20 जून 2019 को बैंक प्रत्याभूति के प्रति ₹ 18 करोड़ एवं 27 दिसम्बर 2019 को ₹ 3.13 करोड़ की प्रतिधारण राशि जारी की।

जीसीसी के खंड संख्या 25.5.2 (ख) के अनुसार, ठेकेदार को बैंक प्रत्याभूति के प्रति प्रतिधारण राशि केवल नियोक्ता द्वारा की गई देरी के कारण जारी की जा सकती है, न कि ठेकेदार को खराब नकदी प्रवाह के कारण। इसलिए, 10 *प्रतिशत* प्रतिधारण राशि जारी करना अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन में था एवं कंपनी को देय होने से पहले जारी की गई राशि पर ₹ 2.01 करोड़[83] की परिहार्य ब्याज हानि वहन करनी पड़ी।

**(ii) अनुचित समय-विस्तार की अनुमति के परिणामस्वरूप परिनिर्धारित नुकसान का अनुद्ग्रहण**

एक परियोजना में, कंपनी ने ठेकेदार से परिनिर्धारित नुकसान की वसूली नहीं की एवं विलम्ब के लिए समय के अनुचित विस्तार की अनुमति दी।

चंबी सब-स्टेशन[84] के निर्माण का ठेका ₹ 39.18 करोड़ व 9,59,950 अमेरिकी डॉलर में दिया गया था। कार्य को अनुबंध लागू होने की तिथि (15 जून 2016) से 18 महीने के भीतर अर्थात 15 दिसंबर 2017 तक पूरा करना अपेक्षित था। यदि ठेकेदार निर्धारित समय के भीतर कार्य पूर्ण करने में विफल होता है, तो जीसीसी की धारा 7 के खंड 26.2 में प्रावधान है कि उस पर अनुबंध-मूल्य के 0.5 *प्रतिशत* प्रति सप्ताह की दर से जिसकी 20 सप्ताह के अंत में 10 *प्रतिशत* की अधिकतम सीमा है, परिनिर्धारित नुकसान उद्ग्रहित की जाए।

19 मार्च 2019 को, ठेकेदार ने भुगतान करने में देरी, निर्माण रेखाचित्रों, विक्रेता तथा गारंटीकृत तकनीकी मापदण्डों के अनुमोदन में देरी के कारण 8 दिसंबर 2017 से 30 जून 2019 (569 दिन) तक समय-विस्तार हेतु आवेदन किया।

हालांकि, अनुबंध[85] के अनुसार, ठेकेदार द्वारा इन दस्तावेजों को तैयार करना तथा इन्हें परियोजना प्रबंधक/ नियोक्ता को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। जब तक परियोजना प्रबंधक/ नियोक्ता उसकी अस्वीकृति या संशोधन के बारे में लिखित रूप में ठेकेदार को सूचित नहीं करता है, इन्हें जमा करने के चौदह दिनों के भीतर अनुमोदित माना जाएगा।

---

83 ₹ 18.00 करोड़ x 10 *प्रतिशत* x 376 दिन + ₹ 3.13 करोड़ x 10 *प्रतिशत* x 186 दिन = ₹ 2.01 करोड़

84 33/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन

85 खंड (20.1.1, 20.3.1, 20.3.2)

26 मार्च 2019 को, ठेकेदार द्वारा दावा किए गए 569 दिनों के विस्तार के प्रति, कंपनी ने 31 मार्च 2019 तक 477 दिनों का विस्तार दिया। कंपनी गारंटीकृत तकनीकी मापदण्डों एवं निर्माण ड्राइंग के अनुमोदन में विलम्ब के लिए दावा किए गए 212 दिनों की कटौती करने में विफल रही। अनुबंध की शर्तों के अनुसार लिखित रूप में, अस्वीकृति या संशोधन के अभाव में, गारंटीकृत तकनीकी मापदण्डों एवं ड्राइंग को स्वीकृत माना जाता था। इस प्रकार कंपनी इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं थी एवं इसलिए ठेकेदार को समय का विस्तार स्वीकार्य नहीं था।

इस प्रकार, विस्तार केवल 265 दिनों (477-212 दिन) के लिए दिया जाना चाहिए था। परिनिर्धारित नुकसान के उद्ग्रहण के बिना 212 दिनों के अतिरिक्त समय विस्तार के अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप अनुबंध मूल्य के 10 *प्रतिशत* पर ₹ 4.58 करोड़[86] के परिनिर्धारित नुकसान की वसूली/ उद्ग्रहण नहीं हुआ।

**(iii) निष्पादन गारंटी कम जमा करना**

दो परियोजनाओं में, कंपनी ने ठेकेदारों से अनुबंध मूल्य के 10 *प्रतिशत* से कम की निष्पादन गारंटी प्राप्त की। अनुबंध की मानक शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को कार्य के निष्पादन में किसी भी कमी के मामले में कंपनी के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध के मूल्य के 10 *प्रतिशत* की दर से निष्पादन गारंटी जमा करना आवश्यक है।

स्नेल से हाटकोटी तक 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के ठेके में ठेका राशि ₹ 18.00 करोड़ से संशोधित करके ₹ 25.44 करोड़ कर दी गई थी। कंपनी को ठेकेदार से निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ 2.54 करोड़ की जमा राशि प्राप्त करनी चाहिए थी, इसके बजाय, उसने केवल ₹ 1.89 करोड़ (₹ 18.00 करोड़ की प्रारंभिक आवंटित राशि पर) प्राप्त किए। इस प्रकार, प्रतिभूति राशि की वसूली में ₹ 0.65 करोड़ की कमी हुई थी।

इसी प्रकार 220 किलोवाट लाहल-बुढिल ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के ठेके में अनुबंध की राशि ₹ 4.81 करोड़ से संशोधित कर ₹ 5.87 करोड़ कर दी गई। कंपनी को ठेकेदार से निष्पादन गारंटी के रूप में ₹ 0.59 करोड़ जमा प्राप्त होने चाहिए थे, इसके बजाय, उसने केवल ₹ 0.48 करोड़ (₹ 4.81 करोड़ की प्रारंभिक आवंटित राशि पर) प्राप्त किए। इस प्रकार, ₹ 0.11 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

उपरोक्त दो मामलों में निष्पादन प्रतिभूति में कुल मिलाकर ₹0.76 (₹ 0.65 + ₹ 0.11) करोड़ की कमी थी।

---

[86] ₹ 39.18 करोड़ का 10 *प्रतिशत* + ₹ 0.66 करोड़ (9,59,950 अमेरिकी डॉलर का 10 *प्रतिशत*)।

प्रबंधन ने बताया (जनवरी 2021) कि केवल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत के लिए निष्पादन गारंटी दी जानी चाहिए। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अनुबंध के अनुसार किए गए परिवर्धन अनुबंध मूल्य का हिस्सा होते हैं। इसलिए, परिवर्धन के अनुसार संशोधित लागत पर निष्पादन बैंक गारंटी (पी.बी.जी) प्राप्त करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को अप्रैल 2021 में भेजे गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अक्टूबर 2021)।

### 3.2.5 निष्कर्ष

कार्य सौंपने एवं उसके पश्चात् कार्यों को पूरा करने में विलम्ब हुआ। कंपनी ने अनुबंध के नियमों एवं शर्तों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप मूल्य विचलनों का भुगतान, करों का परिहार्य भुगतान, परिनिर्धारित नुकसानों का उद्ग्रहण नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ। इससे कंपनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ा।

### 3.2.6 सिफारिश

***कंपनी बोलियों एवं अनुबंधों की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन एवं परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।***

## हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड

### 3.3 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में सामग्री खरीद एवं मालसूची प्रबंधन

**चार (12 में से) ऑपरेशन सर्कल के अभिलेखों की जांच की गई। अतिरिक्त स्टॉक रखने के कारण कंपनी को ₹ 4.88 करोड़ की ब्याज हानि हुई। बिना निविदा या बाजार दरों के विश्लेषण के कंपनी द्वारा क्रय आदेश देने के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। कम्पनी ने भण्डारों की खरीद के लिए क्रय आदेश जारी किये, परन्तु एक वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के बाद भी उनका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। भौतिक सत्यापन के अभाव में अतिरिक्त/ अप्रचलित सामग्री का समय पर निपटान नहीं किया जा रहा था।**

### 3.3.1 प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कंपनी) राज्य में विद्युत का उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण करती है। कंपनी के निदेशक (संचालन) के समग्र नियंत्रण में मुख्य अभियंता सामग्री प्रबंधन क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वार्षिक आवश्यकता के अनुसार विद्युत की वस्तुओं और स्टोर की सामान्य वस्तुओं की केंद्रीय खरीद के लिए जिम्मेदार है। 2017-18 से

2019-20 के दौरान स्टोर आइटम की खरीद पर वार्षिक व्यय ₹ 100.26 करोड़ और ₹ 259.27 करोड़ (औसत ₹ 183.66 करोड़ सालाना) के बीच था।

सामग्री/ मालसूची प्रबंधन, सामग्री की लागत को नियंत्रित करने और न्यूनतम भंडारण लागत के साथ सही समय पर सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सामग्री की योजना, खरीद और उपयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण है। यह लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या खरीद आदेश समय पर मितव्ययिता के साथ और कंपनी की आवश्यकता और नियमों के अनुसार जारी किए गए थे; कंपनी की मालसूची प्रबंधन प्रणाली कुशल और प्रभावी थी; मालसूची के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त थी; तथा अप्रचलित/ स्क्रैप मदों का निपटान तत्काल किया गया था।

लेखापरीक्षा के लिए कवर की गई अवधि 2017-18 से 2019-20 थी। नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच मुख्य कार्यालय और चार[87] (12 में से) ऑपरेशन सर्कल[88] के अनुरक्षित अभिलेखों की जांच की गई। चयनित सर्कल कार्यालयों में 31 मार्च 2020 तक कुल स्टॉक का 38.77 *प्रतिशत* था।

कंपनी में वर्ष के दौरान की जाने वाली खरीद के लिए सामग्री बजट तैयार करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ष के अंत में खरीद/ खपत व समापन स्टॉक तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त स्टॉक का विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है। 2018-19 व 2019-20 के दौरान वर्ष के अंत तक का स्टॉक चार से पांच माह की खपत दर्शाता था। तीन[89] महीने की सीमा को ध्यान में रखते हुए, 2018-19 व 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 38.13 करोड़ व ₹ 88.67 करोड़ मूल्य का अतिरिक्त स्टॉक था, 2018-19 के अंत में अतिरिक्त स्टॉक पर कंपनी को ₹ 4.88 करोड़[90] की ब्याज हानि हुई।

## लेखापरीक्षा परिणाम

मांग के निर्धारण एवं अंतिम रूप देने की प्रणाली; खरीदी प्रक्रिया; तथा मालसूची प्रबंधन पर लेखापरीक्षा परिणाम पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

---

87 अधीक्षण अभियंता (संचालन) बिलासपुर, मंडी, सोलन व ऊना।

88 मार्च 2020 तक के अंत स्टॉक के आधार पर, आइडिया (IDEA) सॉफ्टवेयर के माध्यम से नमूना पद्धति का उपयोग करते हुए चयनित।

89 कम्पनी के क्रय स्कंध के शुद्धिपत्र सं. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीपीओ-एम 32/86-26213-388 दिनांक 20-9-86 द्वारा तीन माह की सीमा तय की गई थी।

90 ₹ 38.13 करोड़ x 12.79 *प्रतिशत* (एचपीईआरसी द्वारा जून 2019 में पूंजी के लिए स्वीकृत ब्याज दर) = ₹ 4.88 करोड़।

### 3.3.2 वार्षिक मांग को अंतिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप विलम्बित खरीद हुई

खरीद नियोजित बनाने एवं सबसे किफायती तरीके से एवं कंपनी की निश्चित आवश्यकताओं[91] के अनुसार किए जाने की आवश्यकता है। निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रत्येक वर्ष मई व नवंबर के दौरान अगले वर्ष की आवश्यकता/ मांगपत्र अग्रिम रूप से मुख्य अभियंता (सामग्री एवं प्रबंधन) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रस्तुत किए गए मांगपत्रों में, स्टॉक में उपलब्ध मात्रा, ऑर्डर की गई मात्रा, स्टॉक निर्गम पंजिका (स्टॉक इश्यू रजिस्टर) के अनुसार विगत 12 मास के दौरान हुई खपत को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नमूना-जांचित सभी चार सर्कलों में, 2017-18 से 2019-20 के लिए कार्य-योजनाओं को अप्रैल व जुलाई के मध्य अंतिम रूप दिया गया था जबकि, इसे वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले ही अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। मांग प्रस्तुत करने में विलम्ब का विवरण **तालिका-3.3.1** में दिया गया है:

**तालिका-3.3.1: खरीद मांगों को अंतिम रूप देने में विलम्ब**

| वर्ष | 2017-18 | | | 2018-19 | | | 2019-20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सर्कल | लक्ष्य माह | मांग प्रस्तुत की गई | विलंब (माह में) | लक्ष्य माह | मांग प्रस्तुत की गई | विलंब (माह में) | लक्ष्य माह | मांग प्रस्तुत की गई | विलंब (माह में) |
| सोलन | 11/2016 | 4/2017 | 4 | 11/2017 | 6/2018 | 7 | 11/2018 | 3/2019 | 4 |
| ऊना | 11/2016 | 4/2017 | 4 | 11/2017 | 5/2018 | 6 | 11/2018 | 6/2019 | 7 |
| बिलासपुर | 11/2016 | 6/2017 | 7 | 11/2017 | 7/2018 | 8 | 11/2018 | 3/2019 | 4 |
| मंडी | 11/2016 | 5/2017 | 6 | 11/2017 | 6/2018 | 7 | 11/2018 | 4/2019 | 5 |

वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए मदों की मात्रा की स्वीकृति कंपनी द्वारा क्रमशः दिसंबर 2017, नवंबर 2018 एवं अक्टूबर 2019 में प्रदान की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्रिय इकाइयों को समय पर सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य को विफल करते हुए, खरीद आदेश वर्ष के अंत में प्रस्तुत किए गए।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यद्यपि कंपनी ने एसएपी-ईआरपी का उपयोग करना शुरू कर दिया था (सितंबर 2014) परन्तु एप्लीकेशन का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था। एमएम मॉड्यूल में खपत आधारित सामग्री-मांग एवं कार्य-योजना का एक महत्त्वपूर्ण फंक्शन है परन्तु इसे शुरू नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्टोरों में बड़ी मात्रा में सामग्री अप्रयुक्त अवस्था में रही। फलत: स्टोरों में अप्रयुक्त सामग्री के अनावश्यक जमाव को नियंत्रित नहीं किया जा सका जैसा कि पैरा 3.3.4.1 में चर्चा की गई है।

सरकार ने उसके उत्तर में (अक्टूबर 2021) आपत्तियां स्वीकार की थी।

---

[91] जैसा कि कंपनी के क्रय नियमावली के अध्याय-III के पैरा 1(3) में निर्धारित किया गया है।

### 3.3.3 निविदा को अंतिम रूप दिए बिना खरीद आदेश देना

कंपनी ने 2017-18 की अवधि हेतु अपनी क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त अस्थाई मांग के आधार पर 2,58,188 ऊर्जा मीटरों के लिए निविदा सूचना (अप्रैल 2017) जारी की। बोली प्रक्रिया में आठ फर्मों ने भाग लिया। अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि एक फर्म अर्थात् मैसर्स हिमाचल एनर्जी मीटर प्रा. लिमिटेड (जिसने निविदा में भाग नहीं लिया था) ने कंपनी से एकल चरण मीटर के खरीद आदेश (पीओ) को दिनांक 26.02.2016 के खरीद आदेश के समान दरों, नियमों एवं शर्तों पर जारी करने का अनुरोध किया (25.04.2017)।

बोली मूल्यांकन प्रक्रिया धीमी थी तथा कंपनी ने बोली को अंतिम रूप देने से पूर्व बाजार में मीटरों के प्रचलित मूल्य को सत्यापित किए बिना पूर्ववर्ती दरों पर मैसर्स हिमाचल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एक लाख मीटरों का खरीद-आदेश दिया (जुलाई 2017)।

मूल्य बोली 5 मार्च 2018 को खोली गई तथा एल-1 बोलीदाता[92] द्वारा उद्धृत दरें पिछले वर्ष की दरों से कम पाई गईं। इस प्रकार, निविदाओं को अंतिम रूप दिए बिना गत-वर्ष के पूर्तिकर्ता को खरीद-आदेश जारी करने के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जैसा कि **तालिका-3.3.2** में वर्णित है :

**तालिका-3.3.2: बिना निविदा के खरीद पर अतिरिक्त व्यय**

| मद | नई दर | पुरानी दर जिस पर खरीद-आदेश प्रस्तुत किया | अंतर | मात्रा | अतिरिक्त व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| | (राशि ₹ में) | | | संख्या | (₹ लाख में) |
| सिंगल फेज मीटर, 5-30 एएमपी | 496 | 638 | 142 | 50,000 | 71.00 |
| सिंगल फेज मीटर, 10-60 एएमपी | 517.25 | 656 | 138.75 | 50,000 | 69.37 |
| **कुल** | | | | | **140.37** |

इसके अतिरिक्त, क्योंकि सामग्री की आपूर्ति वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के बाद की जानी थी, खरीद-आदेश देने के दौरान दरों को वस्तु एवं सेवा कर जोड़कर संशोधित किया गया था। कंपनी ने दरों में संशोधन करते समय, विगत कार्यों के मूल्य से उत्पाद शुल्क की कटौती नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ी हुई दरों पर निर्धारण हुआ तथा फर्म को अनुचित लाभ दिया गया। परिणामस्वरूप, कंपनी को ₹ 49.88 लाख[93] के परिहार्य भुगतान का वहन करना पड़ा।

---

92 मैसर्स लिंक वेल टेलीसिस्टम्स प्रा. लिमिटेड

93 50,000 x ₹ 49.23 + 50,000 x ₹ 50.53 = ₹ 49.88 लाख

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि पिछले वर्ष की दरों पर खरीद आदेश जारी करते समय वर्तमान दरें उपलब्ध नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यदि कंपनी ने कार्य सौपने से पहले बाजार दर विश्लेषण किया होता, तो दरों पर बातचीत की जा सकती थी।

### 3.3.4 मालसूची प्रबंधन

#### 3.3.4.1 भंडारगृहों (स्टोर) में अधिक सामग्री से ₹ 3.60 करोड़ की निधियों का अवरोधन

मुख्य अभियंता (सामग्री प्रबंधन) द्वारा दिनांक 22.12.2000 को जारी निर्देशों तथा तत्पश्चात्, सचिव हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दिनांक 11.07.2005 को जारी निर्देशानुसार खरीदी गई सामग्री को खरीद के छः माह के भीतर उपभोग कर लिया जाए।

कंपनी ने 2017-2020 की अवधि के दौरान विभिन्न मात्रा में सामग्री की खरीद के लिए खरीद आदेश जारी किए, लेकिन एक वर्ष से तीन वर्ष (दिसंबर 2020) की अवधि के समाप्त होने के बावजूद उनका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका, जो आवश्यकता के अवास्तविक मूल्यांकन को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप धन का अवरोधन और ब्याज हानि हुई।

**(i) केबल:** ₹ 2.78 करोड़ मूल्य की 77.705 किलोमीटर केबल[94] तीन नमूना इकाइयों (नमूना-जांचित सर्कल) में एक से तीन वर्षों से अधिक समय से अप्रयुक्त पड़ी थी, जैसा कि **तालिका-3.3.3** में वर्णित है:

**तालिका-3.3.3: अप्रयुक्त केबल का विवरण**

| स्टोर का नाम | से निष्क्रिय | विवरण | मात्रा (मीटर में) | राशि (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| ऊना | 2017-18 | एक्स.एल.पी.ई-3 कोर 120 एमएम* | 6,011 | 36.31 |
| | 2017-18 | एक्स.एल.पी.ई 3 कोर 185 एमएम | 1,010 | 7.55 |
| | 2019-20 | एक्सएलपीई 3 कोर 185 एमएम | 7,186 | 49.53 |
| | 2019-20 | एबी केबल एलटी 3 सीएक्स 95+70 एमएम | 22,550 | 12.89 |
| | 2019-20 | एलटी एबी केबल 3x95+70 एमएम | 31,033 | 82.95 |
| परवाणू | अगस्त 2017 | एक्सएलपीई 3 कोर 120 एमएम | 6,009 | 36.84 |
| परवाणू | जून 2017 | एक्सएलपीई 3 कोर 185 एमएम | 2,701 | 20.40 |
| बरोटीवाला, बड़ी | जून 2019 | एबी केबल एलटी 3 x 120+1 x 95 | 8,391 | 31.75 |
| **योग** | | | **77,705** | **278.22** |

* विद्युत मंडल कांगड़ा को आवंटित, जिसने अनुरोध के बावजूद इसे नहीं उठाया, यह दर्शाता है कि बिना आवश्यकता के केबल की खरीद की गई थी।

[94] एक्सएलपीई और एबी

बरोटीवाला व परवाणू स्टोर में बेतरतीब स्थिति में पड़ी केबल

यद्यपि नमूना-जांचित दो[95] सर्कलों में 3.7 किमी एक्सएलपीई 3 कोर 185 एमएम केबल वर्ष 2017-18 के अंत में अप्रयुक्त पड़ी थी, कंपनी ने मई 2018 के दौरान 6.70 किलोमीटर की उसी केबल हेतु ₹ 80.61 लाख का खरीद आदेश दिया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि कार्यस्थल की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कुछ सामग्री अप्रयुक्त रहती है, आगे बताया गया कि आगामी वर्ष में सामग्री के उपभोग के प्रयास किए जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को कार्यस्थल की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामग्री खरीदनी चाहिए।

**(ii) कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स (सीएफएल):** कंपनी ने अटल बिजली बचत योजना के तहत वितरण के लिए ₹ 63.08 करोड़ की लागत से 64 लाख (16 लाख पैक) सीएफएल खरीदे (2008-09)। इनमें से ₹ 18.80 करोड़ मूल्य के 4,85,905 सीएफएल छः साल से अधिक समय के बाद भी क्षेत्रीय स्टोर में अप्रयुक्त (मार्च 2015) पड़े रहे। इसका उपयोग करने के लिए, कंपनी के प्रबंधन ने क्षेत्रीय कार्यालयों, बिजली घरों व विश्राम गृहों में दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए फ़्यूज्ड तापदीप्त बल्बों के स्थान पर इन सीएफएल का उपयोग करने का निर्णय लिया (मार्च 2015)।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि क्षेत्रीय इकाइयों को पहले ही क्षेत्रीय कार्यालयों/-सब-स्टेशनों/विद्युत गृहों में दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए सीएफएल का उपयोग करने के लिए कहा जा चुका है।

तथापि, कंपनी के निर्णय के पांच वर्षों के बाद भी, ₹ 1.06 करोड़ मूल्य के 64,736 सीएफएल बेकार पड़े थे, जिनमें से ₹ 53.57 लाख मूल्य के 32,812 सीएफएल गत 12 वर्षों से चयनित चार सर्कलों में पड़े थे तथा सामग्री की प्राप्ति तिथि से 18 माह की वारंटी अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

---

[95] ऊना और सोलन

### 3.3.4.2 स्टॉक का उपयोग/ निपटान न करना

स्टॉक नकद का प्रतिनिधित्व करता है तथा कोई भी मृत स्टॉक निरर्थक पूंजी है जिस पर ब्याज की हानि होती है जब तक कि उसका निपटान नहीं किया जाता है। सामग्री को अनावश्यक रूप से रोके रखने से बचने के लिए, जिससे निधियों का अवरोध, मालसूची के रख-रखाव में बढ़ी हुई लागत तथा स्थान की कमी हो जाती है, स्टॉक को नियमित रूप से छांटना एवं स्टॉक का निष्पादन आवश्यक है। 31 मार्च 2018 को कंपनी की माल सूची (इन्वेंट्री) का मूल्य ₹ 58.40 करोड़ था जो मार्च 2020 के अंत में बढ़कर ₹ 193.51 करोड़ (331 प्रतिशत से) हो गया।

**(i) अचल भंडार:** चार सर्कल कार्यालयों से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि मुख्य रूप से केबल्स, ऊर्जा मीटर, स्टील एवं कंडक्टरों का स्टॉक, जिसका मूल्य ₹ 1.51 करोड़ था, पांच साल से अधिक समय से स्टोर में पड़ा हुआ था जो इस तथ्य का संकेत था कि स्टोर की मदों को वास्तविक आवश्यकता से अधिक खरीदा गया था। इस अधिक खरीद पर मार्च 2020 तक कंपनी को ₹ 96.84 लाख[96] के ब्याज की हानि हुई थी।

सरकार ने बताया (अक्तूबर 2021) कि कुछ सामग्री प्रतिकूल कार्यस्थल परिस्थितियों जैसे रास्ते के अधिकार के मुद्दों के कारण अप्रयुक्त रही। इसमें आगे बताया गया कि सामग्री को अगले वर्ष में उपभोग करने का प्रयास किया जाता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कंपनी को स्थल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सामग्री खरीदनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, सामग्री पांच वर्षों से अधिक समय से अनुपयोगी पड़ी रही।

**(ii) अप्रचलित भंडार:** कंपनी को वर्ष में दो बार अधिक/ अप्रचलित घोषित की गई सभी मदों की समीक्षा करके अधिक पाई गई मदों का निपटान करना अपेक्षित है। कंपनी के स्टॉक सत्यापनकर्ताओं को अपनी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) प्रत्येक मद को स्टोर में रखने की समयावधि दर्शाना अपेक्षित होता है। स्टोर के प्रभारी अधिशासी अभियंताओं को अतिरिक्त, अप्रचलित, अनुपयोगी एवं रद्दी के रूप में निपटान योग्य सामग्री को वर्गीकृत करना अपेक्षित होता है। इसे अधिशासी अभियंता द्वारा उपरोक्त वर्गीकरण करने से अंतिम रूप दिए जाने के 45 दिनों के भीतर मंडल स्तर की निराकरण समिति द्वारा अनुपयोगी घोषित करना अपेक्षित होता है।

---

[96] ₹ 151.43 लाख x 12.79 *प्रतिशत* x 5 वर्ष = ₹ 96.84 लाख

₹ 4.31 करोड़ (31 मार्च 2020) मूल्य की मुख्य रूप से पुरानी एवं प्रयुक्त मशीनरी से युक्त रद्दी व अनुपयोगी भंडार अंतिम निपटान के लिए लंबित था। इसके अतिरिक्त, दो सर्कलों[97] सोलन एवं मंडी में, अचल सूची में निरंतर वृद्धि के बावजूद, 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अप्रचलित व अनुपयोगी सामग्री का निपटान नहीं किया गया था।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि क्षेत्रीय इकाइयों को अप्रचलित भंडार को कम करने का बार-बार अनुरोध किया गया है। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि निर्देश जारी करने के बाद भी इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था।

### 3.3.4.3 भंडारगृहों के भौतिक सत्यापन का अपर्याप्त कवरेज

स्टॉक सत्यापनकर्ता द्वारा निरंतर स्टॉक मिलान निर्धारित[98] किया गया है, ताकि सभी सामग्री मदों को वर्ष में कम से कम एक बार कवर किया जा सके। उप-मंडल पदाधिकारी/ भंडार प्रभारी अधिकारी द्वारा आकस्मिक जांच भी निर्धारित की गई है। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, एक स्टॉक सत्यापन अधिकारी तथा सात स्टॉक सत्यापनकर्ता के स्वीकृत पद के प्रति कोई भी कर्मी तैनात नहीं किया गया था। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के भौतिक सत्यापन जैसा कि **तालिका-3.3.4** में दिए गए विवरण के अनुसार किया गया था :

**तालिका-3.3.4: भंडारगृहों के भौतिक सत्यापन का विवरण**

| विवरण | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|
| मंडल भंडारगृहों की कुल संख्या | 81 | 81 | 81 |
| वर्ष में आयोजित भंडारगृहों का भौतिक सत्यापन | 30 | 40 | 2 |
| आयोजित किए गए भौतिक सत्यापन का *प्रतिशत* | 37.03 | 49.38 | 2.47 |

प्रबंधन ने आपत्तियों को स्वीकार किया (दिसंबर 2020) तथा बताया कि स्टॉक सत्यापन अधिकारी व स्टॉक सत्यापनकर्ता के पद को न भरने के कारण, स्टॉक सत्यापन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ठीक से नहीं किया जा सका तथा यह भंडारगृहों के रख-रखाव हेतु निर्धारित निर्देश का पालन न कर सकने का मुख्य कारण हो सकता है, जो अधिक/ अप्रयुक्त भंडार के ढेर में परिणत हुआ।

### 3.3.5 निष्कर्ष

सामग्री मांग व खरीद के आकलन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में विलम्ब हुआ। मांग निर्धारण अनुचित थी, तथा कुछ मंडलों में अप्रयुक्त सामग्री अधिक पाई गई जबकि अन्य मंडलों में खरीद की गई जैसा की विभिन्न मदों की माल-सूची आधिक्य से प्रमाणित होता है। कम्पनी सामग्रियों

---

97 सोलन एवं मंडी

98 मैनुअल के निर्देश 26.2 (बी) (vi)

को उपयोग कर तथा निपटान कर उसके भंडारगृहों का उचित व्यवस्थापन भी नहीं कर सकी जो निधियों के अवरोधन व लागत की अवसूली में परिणत हुआ। भौतिक सत्यापन के अभाव में अतिरिक्त एवं अप्रचलित सामग्री का समयबद्ध निपटान नहीं किया जा रहा था।

### 3.3.6 सिफारिशें

***कंपनी विचार करें:***

- ***उचित मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष की आवश्यकता को समय पर अंतिम रूप देना;***
- ***खरीद आदेश केवल तत्काल उपयोग के लिए देना; तथा***
- ***अधिशेष और/अप्रचलित सामग्री का समय पर निपटान।***

## 3.4 संचरण (ट्रांसमिशन) प्रभारों का परिहार्य भुगतान

**डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूर्ण न होने के कारण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड को सिस्टम का वास्तव में उपयोग किए बिना ₹ 198.91 करोड़ का ट्रांसमिशन शुल्क वहन करना पड़ा। डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूरा होने तक शुल्क और बढ़ेंगे।**

हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए, उत्तरी क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था योजना की स्थायी समिति ने काला अम्ब में 400/220 केवी सब-स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव रखा (2 जनवरी 2013)। इस अपस्ट्रीम सब-स्टेशन का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआइएल) द्वारा उत्तर-क्षेत्रीय अन्तर्राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जाना था। इसके बाद, राज्य संचरण उपयोगिता की समन्वय समिति, जिसमें हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कंपनी) भी एक सदस्य था, ने निर्णय लिया (06 सितंबर 2014) कि विद्युत की निकासी के लिए डाउनस्ट्रीम सिस्टम (220 केवी सब-स्टेशन) का निर्माण कंपनी द्वारा किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ कम्पनी द्वारा ₹ 83.14 करोड़ की योजना अनुमोदित (28 सितम्बर 2015) की गई थी।

अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2019) से उजागर हुआ कि डाउनस्ट्रीम सिस्टम (220 के वी सब-स्टेशन) की स्थापना की प्रगति धीमी थी, जैसा कि नीचे **तालिका-3.4.1** में दिया गया है:

**तालिका-3.4.1: घटनाओं के अनुक्रम**

| क्र. सं. | दिनांक | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | 27 अक्तूबर 2014 | सब-स्टेशन के लिए स्थल चयन हेतु समिति का गठन किया गया। |
| 2. | 24 दिसंबर 2015 | समिति द्वारा स्थल का दौरा (एक वर्ष के विलम्ब के बाद स्थल के दौरे के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए)। |
| 3. | 15 जुलाई 2016 | स्थल प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया था। |

| क्र. सं. | दिनांक | विवरण |
|---|---|---|
| 4. | 19 नवंबर 2016 | मुख्य अभियंता (योजना एवं पर्यवेक्षण) ने देखा कि भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई अभिरुचि पत्र आमंत्रित नहीं किया गया था। |
| 5. | 22 जनवरी 2017 | भूमि की दरों पर चर्चा के लिए एक अन्य समिति का गठन किया गया। |
| 6. | 31 जनवरी 2017 | समिति द्वारा दरों पर चर्चा की गई। तथापि, निर्धारित दरों पर की गई कार्रवाई से संबंधित कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। |
| 7. | 30 नवंबर 2017-जनवरी 2018 | निदेशक-मंडल ने अन्य चिन्हित भूमि की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की। सब-स्टेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई। |

कंपनी, पीजीसीआइएल को सौंपे गए (9 दिसम्बर 2015) अपस्ट्रीम सिस्टम के निर्माण-कार्य, जिसे जुलाई 2017 के दौरान पूर्ण कर लिया गया था, एवं डाउनस्ट्रीम सिस्टम में सामंजस्य नहीं बना पाई। कम्पनी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय व्यवस्था नहीं कर पाई तथा डाउनस्ट्रीम सिस्टम को हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया गया (फरवरी 2018)। हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मार्च 2021 के दौरान ही भू-अधिग्रहण किया था तथा मार्च 2021 तक काम का निष्पादन शुरू नहीं हुआ था।

पीजीसीआइएल द्वारा काम पूरा करने के बाद, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई (18 सितंबर 2018) टैरिफ याचिका के अनुसार, पीजीसीआइएल के काला अम्ब सब-स्टेशन के लिए स्वीकृत मासिक ट्रांसमिशन प्रभार का 84.5 प्रतिशत भुगतान कम्पनी द्वारा डाउनस्ट्रीम सिस्टम पूर्ण होने तक किया जाना था। कंपनी द्वारा डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूरा होने के बाद यूनिट आधारित ट्रांसमिशन टैरिफ उस सिस्टम के माध्यम से विद्युत के वास्तविक आहरण के आधार पर देय होगा। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार, पीजीसीआइएल ने अपने 400/220 केवी काला अम्ब सब-स्टेशन से संबंधित ट्रांसमिशन प्रभारों के मासिक बिलों को जारी किया तथा डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूर्ण न होने के कारण, कंपनी को पीजीसीआइएल की प्रणाली का वास्तव में उपयोग किए बिना इसका भुगतान करना पड़ा। फरवरी 2021 तक, कंपनी ने ₹ 198.91 करोड़ की राशि के मासिक ट्रांसमिशन प्रभार का भुगतान किया था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है, कि इन प्रभारों को हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कंपनी के वितरण टैरिफ में भी अनुमोदित किया था तथा इसलिए उपभोक्ताओं के बिलों में शामिल किया गया। अतएव, डाउनस्ट्रीम सिस्टम को पूर्ण करने में कंपनी की विफलता के कारण उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से बोझ वहन करना पड़ा था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा डाउनस्ट्रीम सिस्टम को पूर्ण न करने के कारण, सिस्टम का वास्तव में उपयोग किए बिना इसे ₹ 198.91 करोड़ का ट्रांसमिशन प्रभार वहन करना पड़ा। डाउनस्ट्रीम सिस्टम के पूरा होने तक ये ट्रांसमिशन प्रभार और बढ़ेंगे।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2021) कि मुख्य रूप से भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों पर उसके नियंत्रण से परे कारणों से डाउनस्ट्रीम प्रणाली के निर्माण में देरी हुई। ट्रांसमिशन शुल्क के भुगतान के संबंध में सरकार ने आगे कहा कि कंपनी ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों के विरुद्ध माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के समक्ष अपील दायर की थी कि उत्तरी क्षेत्र के सभी घटकों द्वारा ट्रांसमिशन शुल्क साझा करने का मुद्दा पर्याप्त रूप से उठाया नहीं गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी पाँच वर्षों तक भूमि का अधिग्रहण करने में विफल रही जिसके कारण डाउनस्ट्रीम सिस्टम निर्मित नहीं किया जा सका। माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कंपनी द्वारा अपील जिस आधार पर दायर की गई थी उसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, जब उसने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद टैरिफ तय किया था। इसके अलावा, कंपनी ने इन शुल्कों को पहले ही उपभोक्ताओं के बिलों में शामिल कर लिया था, जिन्हें कंपनी की विफलता के कारण उपभोक्ताओं को वहन करना पड़ा।

***सिफारिश: कम्पनी प्रभारों के परिहार्य भुगतान से बचने के लिए सभी कार्यों में सामंजस्य बनाते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। भू-अधिग्रहण के मुद्दे परियोजनाएं प्रारंभ करने से पूर्व सुलझाये जाये।***

## हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम

### 3.5 श्रमिकों की सेवा का कम उपयोग किए जाने के बावजूद उन्हें पूरा भुगतान करने के कारण ₹ 80.84 लाख राशि की हानि

**पूर्णकालिक आवश्यकता के अभाव के बावजूद अर्ध/अकुशल श्रमिकों को उनके द्वारा किए गए कम कार्य के लिए पूर्ण भुगतान किया गया; उनके अनुबंध को वार्षिक रूप से बढ़ाया गया; तथा उन्हें नियमित नियुक्ति भी दी गई। इसके परिणामस्वरूप परिहार्य भुगतान हुआ एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (निगम) को ₹ 80.84 लाख की हानि हुई।**

निगम राज्य में पेड़ों की कटाई, तत्पश्चात उन्हें इमारती लकड़ी में परिवर्तित करने तथा उनका ढेर (गट्ठा) बनाने व ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। निगम इस कार्य हेतु ठेकेदारों (लेबर सप्लाई मेट्स) को नियुक्त करता है जो आगे श्रमिकों को नियुक्त करते हैं।

संयुक्त सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार ने संविदा के आधार पर पेड़ों की कटाई, परिवर्तन, गट्ठा बनाने, परिवर्तित लकड़ी की वन से हस्तचलित ढुलाई तथा लकड़ी की चढ़ाई व उतराई के कार्य के लिए 100 अर्ध-कुशल (गिरानी व चिरानी) तथा अकुशल (ढुलानी) श्रमिकों की

नियुक्ति हेतु सरकार की मंजूरी से निगम के प्रबंध निदेशक को अवगत (अक्टूबर 2014) कराया। प्रबंध निदेशक ने निदेशकों (उत्तर व दक्षिण) को 42[99] गिरानी व चिरानी तथा 18[100] ढुलानी श्रमिको को नियुक्त करने का निर्देश (जनवरी 2015) दिया।

अन्य बातों के साथ-साथ नियम व शर्तों में निर्धारित था कि श्रमिकों से प्रत्येक माह न्यूनतम मात्रा में कार्य करना अपेक्षित होगा। सौंपे गए इस कार्य को संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने पर ही उन्हें प्रति माह ₹ 6,300/- (अर्ध-कुशल) एवं ₹ 6,200/- (अकुशल) का भुगतान किया जाएगा।

प्रारंभ में 19 श्रमिकों (13 गिरानी व चिरानी तथा छः ढुलानी) को चंबा मंडल में एक वर्ष के लिए काम पर लगाया गया। चंबा मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 863.51 घनमीटर एवं 468.5 घनमीटर का कार्य क्रमशः गिरानी व चिरानी (अर्ध-कुशल) तथा ढुलानी (अकुशल) द्वारा 2016-17 से 2019-20 की अवधि (अक्टूबर 2019) के दौरान पूर्ण किया गया था जिसके लिए ₹ 5,69,452/- का भुगतान मजदूरी के रूप में किया जाना था जैसा कि **तालिका-3.5.1** में दिया गया है। यद्यपि, इस राशि के प्रति अधिकतम प्रयोज्य दरों पर ₹ 86,53,736/- राशि का भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप इन श्रमिकों को ₹ 80,84,284/- का अधिक भुगतान हुआ।

**तालिका-3.5.1: चिरानी/ गिरानी तथा ढुलानी द्वारा किए गए कार्य का विवरण**

**(राशि ₹ में)**

| वर्ष | चिरानी/गिरानी (अर्ध-कुशल) द्वारा किए गए कार्य (घनमीटर में) | ढुलानी (अकुशल) द्वारा किए गए कार्य (घनमीटर में) | चिरानी/ गिरानी (अर्ध-कुशल) द्वारा किए गए कार्यों का मूल्य | ढुलानी (अकुशल) द्वारा किए गए कार्यों का मूल्य | श्रमिकों द्वारा किया गया कुल कार्य (घनमीटर में) | श्रमिकों को किया जाने वाला कुल भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ङ) | [(ख)+(ग)] | [(घ)+(ङ)] |
| 2016-17 | 155.243 | 0 | 76,019 | 0 | 155.243 | 76,019 |
| 2017-18 | 81.759 | 246.933 | 93,621 | 37,538 | 328.692 | 1,31,159 |
| 2018-19 | 403.13 | 221.57 | 2,05,886 | 10,376 | 624.7 | 2,16,262 |
| 2019-20 | 223.381 | 0 | 1,46,012 | 0 | 223.381 | 1,46,012 |
| **कुल** | **863.513** | **468.503** | **5,21,538** | **47,014** | **1,332.016** | **5,69,452** |

स्त्रोत: विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

[99] अर्ध-कुशल श्रमिक: निदेशालय (उत्तर): 20 और निदेशालय (दक्षिण): 22

[100] अकुशल श्रमिक: निदेशालय (उत्तर): नौ और निदेशालय (दक्षिण): नौ

काम की कमी की उपेक्षा करते हुए इकाई ने 16 अतिरिक्त श्रमिकों को भी काम पर लगाया (नवम्बर 2016 एवं फरवरी 2017), जिससे श्रमिकों की कुल संख्या 35[101] हो गई।

यह भी देखा गया कि श्रमिकों की संख्या की तुलना में कम मात्रा में काम होने की सूचना के बावजूद भी प्रबंधन ने श्रमिकों के अनुबंधों को बढ़ाकर उन्हें लगातार काम पर लगाए रखा।

मंडलीय प्रबंधक, चंबा ने निदेशक (उत्तर) को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया (अगस्त 2017) क्योंकि कार्य की उपलब्धता वर्ष के दौरान अधिकतम चार से पांच माह के लिए ही थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इन श्रमिकों की संविदा को आगे बढ़ाया (दिसंबर 2017, फरवरी 2018 तथा मार्च 2019)।

प्रबंध निदेशक ने यह भी देखा (जुलाई 2018) कि जिन उद्देश्यों के लिए इन श्रमिकों को काम पर लगाया गया था उस उद्देश्य के लिए पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को लेबर सप्लाई मेट्स (ठेकेदार) के साथ तैनात कर उनकी सेवाओं का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। उन्हें श्रमिकों के उपयोग के लिए वैकल्पिक तरीकों का सुझाव देने के लिए भी निर्देशित किया था। यद्यपि चंबा इकाई ने इस निर्देश का जवाब नहीं दिया। उपर्युक्त सभी को अनदेखा करते हुए 19 में से 17 श्रमिकों (अर्ध-कुशल: 6 एवं अकुशल: 11) को नियमित नियुक्ति दी गई (अक्टूबर 2019)।

वर्ष-दर-वर्ष अनुबंध को आगे बढ़ाना कंपनी के वित्तीय लाभ के पक्ष में नहीं था तथा पूरी तरह से अनुचित था क्योंकि यह कार्य सामान्यतः लेबर सप्लाई मेट्स के माध्यम से निष्पादित किया जाता है जिन्हें किए गए वास्तविक कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम को इस बात की जानकारी थी कि इन श्रमिकों की सेवाओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी उन्हें लगातार काम पर लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप चंबा इकाई में निगम को ₹ 80.84 लाख के परिहार्य भुगतान एवं हानि हुई। निगम की अन्य इकाइयों ने भी बताया कि इन श्रमिकों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है, फिर भी निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

[101] जुलाई 2017 में 33 शेष रहे

लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2021 में राज्य सरकार को प्रेषित किए गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (सितम्बर 2021)।

***सिफारिश: निगम उपलब्ध कार्य की मात्रा के आधार पर ठेकेदारों अथवा संविदा-कर्मियों द्वारा कटाई एवं लकड़ी के परिवर्तन इत्यादि के कार्य करवाने का लागत-लाभ विश्लेषण करे, तद्नुसार युक्तिसंगत संविदा-कर्मी काम पर लगाए।***

**(ऋतु ढिल्लों)**
**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**
**हिमाचल प्रदेश**

**शिमला**
**दिनांक: 31 जनवरी 2022**

***प्रतिहस्ताक्षरित***

**(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली**
**दिनांक: 16 फरवरी 2022**